इस प्रकार की छोटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए विशेष प्रावधान अपारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय के लिए भी किए हैं और इसके साथ-साथ सरकार ने बजट में भी इसे बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप में ज्यादा धनराशि आबंटित करने का फैसला किया तथा इस साल के बजट में ज्यादा धनराशि भी दी है। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: क्वेश्चन इनका यह नहीं है। इनका क्वेश्चन यह है कि छोटी-छोटी योजनाओं का कोआर्डिनेशन कौन करेगा और कौन उनका कंट्रोल करेगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सर, मैं माननीय सदस्य से और आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जब हम इसकी ब्रीफिंग ले रहे थे जो इस पर हमने यह चर्चा की जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। भविष्य में इसके संदर्भ में जो काआर्डिनेशन की जिम्मेदारी है वह ऊर्जा मंत्रालय के नाते ऊर्जा मंत्रालय और अपारम्परिक दोनों की तरफ से करने का प्रयास हम जरूर करेंगे।

MR. CHARMAN: Dr. T. Subbarammi Reddy, you are always there in the Question Hour. Shri R.P. Goenka.

श्री आर० पी० गोयनका: सभापति जी, मेरा जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री सभापति: दे दिया है तो ठीक है। नेक्स्ट।

Amendments in Sections 406 and 498A of IPC

*230. SHRI ABANI ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many families in India are suffering due to exaggerated allegations of harassment and dowry cases made by women against their husbands and other family members involving them in criminal misappropriation and cruelty;

(b) if so, the steps Government propose to take in this regard;

(c) whether the Hon'ble High Court in a judgement on 19th May, 2003 has directed the Government to review and make suitable amendments in Sections 406 and 498A of IPC; and

(d) if so, the action Government have taken or propose to take on the judgement of the Court?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) There is no information available with the Government to come to the conclusion that many families in India are suffering due to exaggerated allegations of harassment and dowry cases made by women against their husbands and other family members involving them in criminal misappropriation and cruelty.

(c) and (d) The High Court of Delhi in its judgement dated 19th May, 2003 in the case of Savitri Devi *Vs.* Ram Chandra and Others has recommended that marital offences under Section 498A/406 of the Indian Penal Code, 1860 be made bailable. If the parties decide to either settle their disputes amicably to salvage the marriage or decide to put an end to their marriage by mutual divorce, they should be allowed to compound the offences so that criminal proceedings do not chase them if they want to start their married life afresh or otherwise. The Criminal Law (Amendment) Bill, 2003 introduced in Rajya Sabha on 22nd August, 2003 has *inter alia* a provision to make Secton 498A of the Indian Penal Code 1860 a compoundable one by inserting Section 498A in the table under sub-section(2) of Section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 whereby it can be compounded with permission of the Court.

श्री अवनि राय: प्रश्न के भाग-''क'' और ''ख'' में जो उत्तर दिया है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसमें किसी ने कोई शिकायत की है। लेकिन उनके पास ऐसी जो सूचना है जिसमें जो केसेज लगाए गए हैं उसमें कितने हल हुए हैं और उनको जो शिकायतें हैं उनको कैसे निबटाया है। इसका आंसर दिया जाए तो अच्छा होगा?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सर, इस सवाल का जवाब तो लिखित में दिया है कि कोई ऐसी शिकायतें या ऐसी इंफार्मेशन हमारे पास नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में एक आब्जर्वेशन जरूर उन्होंने की है कि आम तौर पर कई केसेज में 498ए के नीचे बहुत सारे लोगों के लिए जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता इस तरह की ज्यादतियां हो जाती हैं। उसके लिए भी जवाब दे दिया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर (अमेंडमेंट) बिल इन्ट्रोडयूस कर दिया गया है जिसमें हम यह कोशिश कर रहे हैं कि यह कम्पाउंडेबिल ऑफेंस हो जाए ताकि किसी पर यह ज्यादतियां न हों। अगर कोई गलत केस रजिस्टर्ड हो गया है या गलत आदमियों का नाम आ गया है बाद में रिकंसीलेशन हो जाती है, फैसला हो जाता है, सैटिलमेंट हो जाता है तो सफर न करें। इसलिए इस ऑफेंस को कम्पाउंडेबिल बनाने के लिए एक क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आलरेडी मूव हो चुका है ताकि उनको यह राहत दी जा सके। इसके अलावा कोई इस तरह की शिकायत नहीं है।

श्री अवनि राय: क्या मंत्री महोदय यह सोचते हैं कि जैसा उनके ऊपर उत्पीड़न या अत्याचार

होता है और उसके बाद सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में केस को हल किया जाएगा और उसके साथ-साथ इसमें जो डॉयवोर्स की बात है वह भी आपसी सहमति से हो जाएगा। तो क्या इसमें से ये सब मिट जाएंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सारी चीजें तो नहीं मिटतीं लेकिन बहुत सारी चीजों का हल निकल आता है। इसीलिए सी॰आर॰पी॰सी॰ में अमेंडमेंट का बिल 2003 में पेश किया है उसमें भी यह रखा है। हाई कोर्ट के जजमेंट में भी उन्होंने कहा कि इसको कम्पाउंडेबिल बनाओ। मेलिमेथ कमेटी जो क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म के लिए बैठाई गई थी उन्होंने भी रिकमंडेशन यही की है कि इस 498ए को कम्पाउंडेबिल बनाया जाए। लॉ कमीशन की रिकमंडेशन भी यही है कि इसको कम्पाउंडेबिल बनाया जाए। इन सब चीजों के दृष्टिगत कम्पाउंडेबिल बनाने के लिए यह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया है और उसमें इसका हल हो जाएगा। लेकिन यह सब चीजों का हल हो जाए यह मैं उनके साथ एग्री करता हूं।

श्री वीरभद्र सिंह: सर, यह जो डॉउरी है यह हमेशा सोसाइटी में कही न कहीं चलता रहता है। सर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि प्रोपर्टी के लालच में आकर कुछ महिलाओं के ऊपर ऐसा चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि राइट टू प्रोपर्टी को फंडामेंटल राइट में लाया जाए, जैसे कि लड़कियों का भी Parents की प्रोपर्टी में हिस्सा रहेगा।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह इससे संबंधित नहीं है। राइट टू प्रोपर्टी के बारे में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बड़ी मेहनत से प्रश्न पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए जवाब मत दीजिए।

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, Section 498A is a classic case of the cure being worse than the malice. I am surprised that the hon. Minister has chosen to state that the Government is not aware of cases of harassment. I can assure you, Sir, it is common knowledge that Section 498A has become an instrument of oppression in the hands of certain people who are seeking to get minor children, aged in laws arrested on absolutely whimsical allegations. Sir, the issue is not only of compounding it. The question is how you ensure a just investigation of such complaints. Low police officers are investigating it in a manner that is ruining the sanctity of families; minor children and girls and hauled up. This Judgement, which I have in my possession, is a scathing indictment of how this law which was intended to subserve a noble purpose has in fact, been prostituted. You need to do something more than making it compoundable. You must immediately intervene, Sir, to ensure that the good law is not suborned by faulty and *mala fide* investigations.

SHRI I.D. SWAMI: Sir, I quite agree with the sentiments expressed by the hon. Member. There is no doubt about it; in many cases, there are complaints where the provisions of Section 498A are misused or abused or excessively used. And for that, the investigating agency is the only agency which can remedy this. From time to time, these instructions are issued even from the Government of India, and the State Governments are already cognisant of this fact. But, for the investigating officer, the problem arises when a case is registered and the persons have been mentioned in the FIR; it becomes difficult for him. Till such time, he really satisfies himself. During that period, some harassment is certainly made; it is expected from the investigating officers, it is expected from the police officers. They are sensitised on this matter by the State Government, and also by the Central Government, that they should see to it that they are not harassed.

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, यह प्रश्न तो पहले भी इस सत्र में आ चुका है और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कमेटी गठित ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: ठीक है, अब छोड़िए।....(**व्यवधान**)

SHRI ASHWANI KUMAR: The investigating agencies are totally insensitive ....(**व्यवधान**)

श्री रमा शंकर कौशिक: माननीय मंत्री जी ने बताया था कि कमेटी गठित कर दी गई है और वह जो सुझाव देगी, उसको हम मानेंगे।

श्री सभापति: आपने कोई बताया है?

SHRI I.D. SWAMI: Sir, I have not.

श्री सभापति: नहीं, इन्होंने कहा है ....(**व्यवधान**)

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: नहीं, कोई नहीं ....(**व्यवधान**) मलीमथ कमेटी, जस्टिस मलीमथ कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री सभापति: उस कमेटी के बारे में कहा होगा।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: That was formed on criminal, judicial reforms system. उसमें भी इस 498-ए का जिक्र है। ....(**व्यवधान**)

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, यह प्रश्न इसी सत्र में आया था और उस समय यही जवाब आया था।

श्री सभापति: वह बात आ गई है। ....(व्यवधान)

उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): सभापति जी, यह जो मामला है, यह गंभीर है और खास करके यह जो जजमेंट है, जिस जजमेंट के बारे में सवाल पूछा गया। ....(व्यवधान)

SHRI B. P. SINGHAL: Sir, we are not able to ask Questions ....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना चेहरा आकर्षित बना लीजिए, सब देखते हैं। ....(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, जहां इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, जिनका जिक्र किया गया है और जिनका उल्लेख तथा जिनकी आलोचना कोर्ट ने भी की है, वहां यह बात भी सही है कि स्त्रियों के साथ भी अत्याचार होते हैं, उनके साथ भी ज्यादती होती है और जहां तक कि इस जजमेंट की भी आलोचना विमेन कमीशन ने की है। विमेन कमीशन ने यह कहा है कि इस जजमेंट में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं ये सही नहीं हैं और सरकार को इस मामले में अगर कोई कानून बनाना है तो स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है और खास करके अब जब लॉ कमीशन का रेकमेंडेशन आया, मालीमथ कमेटी का भी एक रेकमेंडेशन आया, तो उचित लगा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें, जिस पर एक आम सहमति है। अन्यथा आपने जो बात कही है, उस दृष्टिकोण में भी वजन है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

कपड़ा उत्पादन इकाइयों के विकास व विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समितियां

*231. **श्री लाजपत राय:**††
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कपड़ा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयों के विकास व विस्तार के लिए सुझाव पाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान किन्हीं राष्ट्रीय स्तर की समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों का (मिल, पावरलूम तथा हथकरघा) क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक समिति का गठन कब किया गया था; और

(ग) इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है?

---

††सभा में यह प्रश्न श्री लाजपत राय द्वारा पूछा गया।